


राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-III

जयपुर, दिनांक :- 16-8-17

आदेश


भवन विनियमों में दिव्यांग (शारीरिक रूप से विकलांग) व्यक्तियों के लिये विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक कार्यालयों, जन-उपयोग के वाणिज्यिक भवनों (सिनेमा, थियेटर आदि), हॉस्पिटल सार्वजनिक सुविधा स्थल व अन्य जन-उपयोगी भवनों के लिये मानदण्ड निर्धारित किये हुये है। इस श्रेणी के भवनों के पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के समय संबंधित नगरीय निकाय एवं एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा इन मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

भाज्ञा से,  
  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव - प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. समस्त एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स।
11. विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

  
16/8/17  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

1. A.  
कल 17/8